कार्यालय आबकारी आयुक्त,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सं0 16786/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2017–18/

दिनांक :इलाहाबादः, नवम्बर, **30** , 2016

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन तथा कम तीव्रता के मादक पेय के थोक बिक्री के निम्न अनुज्ञापन निर्गत करने की प्रकिया दिनांक **07.12.2016** से आरम्भ की जायेगी। इन अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का विवरण निम्नानुसार हैः–

कमांक	थोक अनुज्ञापन का नाम	लाइसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	प्रतिभूति धनराशि
1	बी0डब्लू0एफ0एल0–2ए (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की उत्तर प्रदेश में बिकी हेतु अनुज्ञापन)	सात लाख रुपये	चार लाख रुपये
2	बी0डब्लू0एफ0एल0–2बी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की उत्तर प्रदेश में बिकी हेतु अनुज्ञापन)	पांच लाख रुपये	दो लाख रुपये
3	बी0डब्लू0एफ0एल0–2सी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की उत्तर प्रदेश में बिकी हेतु अनुज्ञापन)	पचास हजार रुपये	पच्चीस हजार रुपये
4	बी0डब्लू0एफ0एल0–2डी (अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की उत्तर प्रदेश में बिकी हेतु अनुज्ञापन)	पच्चीस हजार रुपये	दस हजार रुपये
5	एफ0एल0–2डी (अन्य देशों से आयातित मदिरा, वाइन, बीयर का थोक लाइसेंस)	पांच लाख रुपये	पचास हजार रुपये

नोटः– 1– उपरोक्त सभी अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट किसी शेडयूल्ड बैंक (Scheduled Bank) द्वारा निर्गत तथा पेएबुल ऐट इलाहाबाद होंगे एवं **"आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 इलाहाबाद"** के पक्ष में देय होंगे।

2– उपरोक्त अनुज्ञापन हेतु प्रार्थना–पत्र इच्छुक पात्र व्यक्ति द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, कार्यालय आबकारी आयुक्त,उ0प्र0, आबकारी भवन, 171– पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद में किसी भी कार्य दिवस में दिनांक **07.12.2016** से प्रस्तुत किये जा सकते है।

(भवनाथ)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।